IV ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) के तहत की गई परिकल्पना के अनुरूप देशभर में वित्तीय समावेशन को गहन करने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की तैयारी के लिए कदम उठाए गए। युवा वर्ग में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए आरबीआई90क्विज का आयोजन किया गया। वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना में पूरे देश को समावेशित करने के लिए वर्ष 2024 में उसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करते हुए, देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वर्ष 2024-25 के दौरान कई पहलें की गईं, जैसे कि 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा, सभी जिलों में डिजिटल भुगतान पारितंत्र कार्यक्रम का विस्तार और उसमें गहनता (ईडीडीपीई) [अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के दो जिलों और मणिपुर के एक जिले को छोड़कर] तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण उपलब्धता को बढ़ाना। इसके अलावा, सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) ने मार्च 2024 में सभी उप-सूचकांकों में विस्तार के साथ वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और वह 64.2 पर पहुँच गया। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सीएफएल परियोजना को देश भर में 2,421 सीएफएल तक बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान देश भर के पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामान्य ज्ञान-आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आरबीआई90क्विज आयोजित की गई।

IV.2 इस पृष्ठभूमि के साथ, अध्याय के बाकी हिस्से को तीन खंडों में संरचित किया गया है। खंड 2 में वर्ष 2024-25 की कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह के स्तर तथा वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में हुई प्रगति प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची खंड 3 में और निष्कर्ष टिप्पणियां खंड 4 में दी गई हैं।

2. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

IV.3 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की तैयारी *(उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IV.4];
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण दिशानिर्देशों की समीक्षा *(उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IV.5];
- ईडीडीपीई[1] के तहत मार्च 2025 तक देश भर के 50 प्रतिशत जिलों में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना (पैराग्राफ IV.6);

[1] चिह्नित जिलों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का कम-से-कम एक तरीका उपलब्ध कराना, जैसे डेबिट/रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), *आदि*।

- अधिक वित्तीय समावेशन के लिए अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की प्रभावशीलता को बढ़ाना (पैराग्राफ IV.7); तथा
- एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करना (पैराग्राफ IV.8)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IV.4 वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की तैयारी से संबंधित कार्य जारी है।

IV.5 पीएसएल दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई और पीएसएल पर संशोधित मास्टर निदेश 24 मार्च 2025 को जारी किए गए, जो 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए। संशोधित दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ पीएसएल श्रेणियों के तहत विभिन्न ऋण सीमाओं को बढ़ाना, उन प्रयोजनों को बढ़ाना जिनके आधार पर ऋणों को 'नवीकरणीय ऊर्जा' के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को 75 प्रतिशत से संशोधित कर 60 प्रतिशत करना, गैर-कॉरपोरेट किसानों के लिए लक्ष्य तय करना, आदि शामिल हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के बढ़े हुए दायरे से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण के बेहतर लक्ष्यीकरण में सुविधा होने की उम्मीद है।

IV.6 ईडीडीपीई कार्यक्रम को अगस्त 2023 में सभी जिलों [अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के दो जिलों और मणिपुर के एक जिले को छोड़कर] तक विस्तारित किया गया। 31 मार्च 2025 तक, देश भर में 60 प्रतिशत से अधिक जिलों (514 जिलों) में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। इसमें 15 राज्यों, यथा केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छह केंद्र शासित प्रदेशों, यथा दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख और पुदुचेरी के सभी जिले शामिल हैं।

IV.7 एलबीएस की व्यापक समीक्षा चल रही है, ताकि सभी वर्गों के लोगों तक वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उसके उपयोग और गुणवत्ता को बेहतर बनाते हुए योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

IV.8 एमएसएमई के विकास और संधारणीयता के लिए ऋण तक पहुंच महत्वपूर्ण है। औपचारिक ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के सामने आने वाली कुछ आम चुनौतियों में सूचना विषमता, अत्यधिक दस्तावेजीकरण और पारदर्शिता की कमी शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बैंकों को 11 जून 2024 को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए:

ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूचित किया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) उधारकर्ताओं के लिए ₹25 लाख तक के ऋणों के लिए 14 दिनों का एक समान निपटान समय (टीएटी) रखें, ताकि ऐसे ऋण आवेदनों का तेजी से निपटान सुनिश्चित हो सके और अपनी वेबसाइट पर एक अलग टैब के तहत ऋण संबंधी सभी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।

बी) बैंकों को पुनः कहा गया कि वे ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग प्रणाली (सीपीटीएस) लागू करें और एमएसएमई उधारकर्ताओं को लिखित रूप में ऋण आवेदनों की अस्वीकृति के मुख्य कारण/कारणों की जानकारी दें, उन्हें ऋण आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजों की सांकेतिक जांच-सूची उपलब्ध कराएं और अपनी वेबसाइट पर ऋण आवेदनों की लंबित स्थिति प्रदर्शित करें।

सी) समूह वित्तपोषण पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई ताकि समूहों (क्लस्टर) की स्पष्ट परिभाषा प्रदान की जा सके और उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एमएसई क्लस्टरों को अब एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित क्लस्टरों के रूप में परिभाषित किया गया है। अग्रणी बैंकों को अपने जिलों में सभी क्लस्टरों में

सीधे/अन्य बैंकों के साथ ऋण सहबद्धता को बढ़ावा देने, एमएसई इकाइयों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और शाखा/ब्लॉक स्तर की ऋण योजनाओं में क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रमुख घटनाक्रम

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.9 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का 43.1 प्रतिशत[2] था। प्रत्येक बैंक समूह ने 2024-25 के दौरान निर्धारित 40 प्रतिशत का समग्र पीएसएल लक्ष्य प्राप्त कर लिया [सारणी IV.1]।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

IV.10 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) - किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश ऋण प्रदान करने के लिए एकस्थलीय सुविधा है।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4	5
2023-24	31.9 (42.6)	24.1 (47.4)	2.5 (41.6)	58.5 (44.4)
2024-25*	36.0 (42.4)	27.1 (44.3)	2.7 (42.0)	65.7 (43.1)

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएनबीसी या सीईओबीई, जो भी अधिक हो, के प्रतिशत हैं।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियाँ।

वर्ष 2024-25 के दौरान सक्रिय केसीसी की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2.7 प्रतिशत की कमी आई, जबकि बकाया राशि में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण सीमा में वृद्धि

IV.11 कृषि निविष्टि लागत में वृद्धि और समग्र मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को और बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई।

सारणी IV.2: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(आंकड़े लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सक्रिय केसीसी की संख्या#	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2023-24	298.1	4,93,362	46,332	35,279	5,74,974
2024-25*	290.2	5,07,821	55,047	38,107	6,00,975

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
#: सक्रिय केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक आस्ति (एनपीए) खाते शामिल नहीं हैं।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक एवं लघु वित्त बैंक।

[2] यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से संबंधित है।

सारणी IV.3: एमएसएमई को बैंक ऋण

(आंकड़े लाख में, राशि ₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022-23	194.4	10.5	15.7	7.5	3.2	4.6	213.3	22.6
2023-24	231.9	13.3	21.3	8.6	3.8	5.3	257.0	27.3
2024-25*	225.8	15.1	15.5	9.9	4.0	6.3	245.3	31.3

*: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियाँ।

एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण

IV.12 एमएसएमई के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाना, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान (दिसंबर 2024 के अंत तक) एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिये गए ऋण के बकाया में 14.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [सारणी IV.3]।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपना

IV.13 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों और निजी क्षेत्र के दो बैंकों (जम्मू एंड कश्मीर बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक) को देश भर के 782 जिलों को शामिल करते हुए अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुंच

IV.14 प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में/पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों वाले प्रत्येक छोटे गाँव/बस्ती तक बैंकिंग सेवाएँ पहुंचाना, एनएसएफआई: 2019-24 का एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसे 31 मार्च 2025 तक 27 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है। देश भर में चिह्नित 99.99 प्रतिशत गांवों/छोटे गांवों को इसमें शामिल किया जा चुका है। शेष कुछ गांवों/बस्तियों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

IV.15 दिसंबर 2024 के अंत तक, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एफआईपी के तहत विभिन्न संकेतकों के माध्यम से मापी गई बैंकों की प्रगति सारणी IV.4 में दी गई है। दिसंबर 2024 में सामान्य बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) में कुल राशि में 11.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स)

IV.16 रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन का आकलन और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक सम्मिश्र एफआई-सूचकांक तैयार किया है। इसमें तीन उप-सूचकांक हैं, यथा एफआई-पहुँच, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता। सूचकांक में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र पर सरकार और क्षेत्रवार विनियामकों से एकत्रित विस्तृत डेटा शामिल है। एफआई-सूचकांक मार्च 2023 के 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया, जिससे सभी उप-सूचकांकों में

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसंबर 2023	दिसंबर 2024$
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	33,378	53,893	56,579
गांवों में बीसी आउटलेट > 2000*	8,390	13,15,004	10,82,650
गांवों में बीसी आउटलेट < 2000*	25,784	2,77,594	2,72,941
गांवों में कुल बीसी आउटलेट	34,174	15,92,598	13,55,591
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी भू-भाग	447	3,58,167	3,67,712
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,780	2,743
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,35,628	1,45,883
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	4,274	4,458
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	1,36,558	1,58,832
बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	**730**	**7,054**	**7,201**
बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**2,72,186**	**3,04,715**
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	53	45
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	579	548
केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	240	507	520
केसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	8,11,906	8,85,068
जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	10	55	22
जीसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	3,500	53,690	36,312
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	27,294	29,944
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	9,86,236	10,73,073

बीसी: कारोबार प्रतिनिधि।
बीएसबीडीए: सामान्य बचत बैंक जमा खाता।
ओडी: ओवरड्राफ्ट। केसीसी: किसान क्रेडिट कार्ड।
जीसीसी: सामान्य क्रेडिट कार्ड।
आईसीटी: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
$: आंकड़े अनंतिम हैं। *: ग्रामीण जनसंख्या।
#: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियाँ।

वृद्धि देखी गई, जिसमें मुख्यतः एफआई-उपयोग का योगदान रहा (चार्ट IV.1 और IV.2)।

चार्ट IV.1: एफआई-सूचकांक और उप-सूचकांक (मार्च के अंत तक)

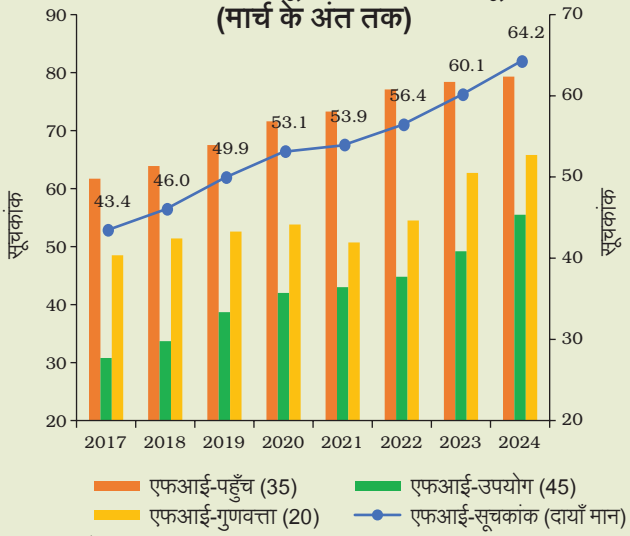

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफआई-सूचकांक में प्रतिशत में भार दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई): 2019-24

IV.17 जनवरी 2020 में जारी एनएसएफआई: 2019-24 ने देश में वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाने में मदद की है। इस कार्यनीति में किफायती तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक

चार्ट IV.2: एफआई-सूचकांक की वृद्धि में उप-सूचकांकों का योगदान (मार्च के अंत तक)

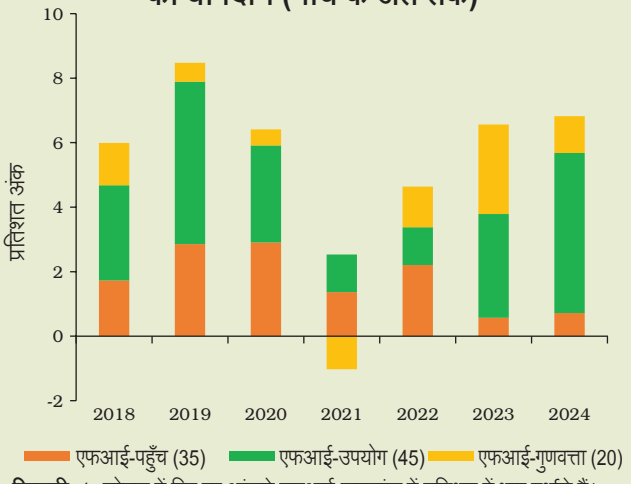

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफआई-सूचकांक में प्रतिशत में भार दर्शाते हैं।
2. वर्ष 2021 के दौरान एफआई-गुणवत्ता द्वारा ऋणात्मक योगदान का कारण, वित्तीय साक्षरता गतिविधियों में कमी थी।
स्रोत: आरबीआई।

और सुस्थिर बनाना, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

IV.18 एनएसएफआई के तहत 18 में से पांच महत्वपूर्ण लक्ष्यों के वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई थी। इनमें शामिल हैं: (ए) वर्चुअल मोड के माध्यम से लोकसंपर्क को बढ़ाने के लिए फिनटेक क्षेत्र में हुई प्रगति का लाभ उठाना; (बी) ग्राहक ऑन-बोर्डिंग के लिए तेजी से डिजिटल और सहमति-आधारित ढांचे की ओर बढ़ना; (सी) अवधारणा साक्षरता के साथ-साथ प्रक्रिया साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना; (डी) देश के हर ब्लॉक में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करना; और (ई) कार्रवाई के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्ष 2024 में प्राप्त किए गए।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन

IV.19 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू), प्रत्येक वर्ष एक केंद्रित अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर आम जनता/आबादी के विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक की एक पहल है। एफएलडब्ल्यू 2025 महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'वित्तीय साक्षरता - महिला समृद्धि' की थीम पर 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाया गया था। सप्ताह के दौरान, रिज़र्व बैंक ने आम जनता के बीच विषय-वस्तु पर आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों का प्रसार करने के लिए एक केंद्रीकृत जन मीडिया अभियान चलाया। वित्तीय जागरूकता संदेश भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में भी उपलब्ध कराए गए। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी स्थानीय अभियान चलाए। बैंकों को भी अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सूचित किया गया।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

IV.20 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता पर सीएफएल प्रायोगिक परियोजना वर्ष 2017 में नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में आठ प्रायोजक बैंकों और छह गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से तीन वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्तीय समावेशन कोष (एफआईएफ) और संबंधित प्रायोजक बैंकों से वित्तपोषण सहायता मिली थी। सीएफएल परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरे देश को समावेशित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया गया था, जिसमें प्रत्येक सीएफएल में लगभग तीन ब्लॉक शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक, देश भर में कुल 2,421 सीएफएल[3] क्रियाशील हो चुके हैं। इन सीएफएल द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का उद्देश्य कतिपय अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, जैसे कि बैंक खाते खोलना/पुनः सक्रिय करना, पेंशन और बीमा लिंकेज *आदि*।

आरबीआई90क्विज

IV.21 रिज़र्व बैंक के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत, पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामान्य ज्ञान-आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आरबीआई90क्विज का आयोजन किया गया। यह क्विज कई चरणों में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत ऑनलाइन मोड से हुई और समापन राष्ट्रीय फाइनल में हुआ। इस प्रश्नोत्तरी में देश भर के 13,961 महाविद्यालयों की 79,103 टीमों (1,58,206 छात्रों) ने भाग लिया।

[3] https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/FLCs_CFLs_Details.aspx

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) द्वारा संचालित गतिविधियाँ

IV.22 31 दिसंबर 2024 तक देश में 1,508 एफएलसी थे, जिन्होंने अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान कुल 1,31,220 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए।

3. वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

IV.23 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) की समीक्षा;
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लोकसंपर्क और समावेशन को मजबूत करना; तथा
- ईडीडीपीई[4] के तहत, मार्च 2026 तक देश भर के 80 प्रतिशत जिलों में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना।

4. निष्कर्ष

IV.24 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन में सुधार लाने और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय करते हुए वर्ष के लिए निर्धारित कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। एनएसएफआई: 2019-24 दस्तावेज़ के तहत अपनाई गई रणनीति के कार्यान्वयन से वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके अलावा, विभिन्न अनुदेशों को सुसंगत बनाने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर मास्टर निदेशों को अद्यतन किया गया। भविष्य में, वित्तीय समावेशन को और सुस्थिर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

[4] इस अध्याय की फुटनोट संख्या 1 को देखें।